संख्याः 678 /30-XXX(2)/2004

प्रेषक,

नृप सिंह नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन ।

सेवामें,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन ।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तरांचल ।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तरांचल ।

कार्मिक अनुभाग–2

देहरादूनः दिनांकः 13 मई, 2004

विषयः पदोन्नति में आरक्षण अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों की रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया ।

महोदय,

शासनादेश संख्याः 1455/कार्मिक–2/2001 दिनांक 31 अगस्त, 2001 द्वारा पदोन्नतियों में आरक्षण नीति लागू करने के लिए रोस्टर जारी किया गया है ।

2. संदर्भगत शासनादेश के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्याधीन सेवाओं और पदों में प्रोन्नति के प्रक्रम पर भी किसी भर्ती वर्ष में अनुसूचित जनजातियों अथवा अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित पदों को पदोन्नति द्वारा भरने के लिए उस आरक्षित वर्ग का कोई कार्मिक उपलब्ध न हो तो यथास्थिति, अनुसूचित जनजाति की रिक्ति को अनुसूचित जाति के उपयुक्त कार्मिक से तथा अनुसूचित जाति की रिक्ति को अनुसूचित जनजाति के उपयुक्त कार्मिक से भरा जा सकता है । अनुसूचित जनजातियों या अनुसूचित जातियों, यथास्थिति, के लिए विनिर्दिष्ट कोई रिक्ति घटित होते ही अनुसूचित जनजातियों या अनुसूचित जाति से सम्बन्धित उस पदोन्नत व्यक्ति को उसकी अपनी श्रेणी की ऐसी रिक्ति के प्रति समायोजित किया जायेगा ।

3. मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि यदि किसी सम्बन्ध में अन्यथा कोई अस्थायी व्यवस्था की गयी हो तो उसके स्थान पर भी उपरोक्त व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही की जायं । अनुसूचित जाति/जनजाति यथास्थिति के लिए आरक्षित पदों पर उपयुक्त अभ्यर्थी उपरोक्तानुसार भी न मिलने पर किसी भी दशा में उन पदों को अनारक्षित वर्ग से नहीं भरा जायेगा ।

कृपया तदनुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें ।

भवदीय,

(नृप सिंह नपलच्याल)
प्रमुख सचिव ।

संख्याः (1)/30-XXX(2)/2004

प्रतिलिपि सचिवालय के समस्त अनुभागों को प्रेषित ।

आज्ञा से,

(नृप सिंह नपलच्याल)
प्रमुख सचिव ।

GOMX